भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4601

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

एफजीडी सिस्टम स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश

4601. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 11 जुलाई, 2025 की अधिसूचना अधिकांश कोयला-आधारित ताप विद्युत संयंत्र इकाइयों को फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियां स्थापित करने से छूट देती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं:

(ख) राज्यवार कुल इकाइयों की सूची, उनकी क्षमता और श्रेणी (क, ख, ग) के साथ-साथ उन्हें उक्त श्रेणियों में वर्गीकृत करने के मानदंड और वैज्ञानिक आधार क्या हैं;

(ग) दिल्ली-एनसीआर सहित राज्यवार छूट प्राप्त इकाइयों की सूची, उनकी क्षमता और श्रेणी के साथ-साथ इन छूटों को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त विशिष्ट मानदंड और औचित्य सहित समान राष्ट्रीय मानकों के बजाय स्थान-आधारित उत्सर्जन मानदंडों को अपनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस संशोधन से पहले तुलनात्मक राष्ट्रीय SO_2 प्रवृत्तियों और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की समीक्षा की गई थी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और श्रेणी ख और ग के लिए अनुपालन, समीक्षा और निगरानी रोडमैप क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 07.12.2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए उत्सर्जन मानकों [सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) सहित] को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से उत्सर्जन मानकों के अनुपालन हेतु टीपीपी को तीन श्रेणियों अर्थात् श्रेणी क, ख और ग में वर्गीकृत किया है। तदनुसार, टीपीपी को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

क्रम सं.	**वर्ग**	**अवस्थिति/क्षेत्र**	**टीपीपी की संख्या**	**यूनिट की संख्या**	**क्षमता (मेगावाट)**
1	श्रेणी क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में	17	66	20,577
2	श्रेणी ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों अथवा अनुपालन न करने वाले क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर	25	72	24,057
3	श्रेणी ग	श्रेणी क और ख में शामिल संयंत्रों के अलावा	149	462	1,66,885.5
कुल			**191**	**600**	**2,11,519.5**

टिप्पणी: भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार।

श्रेणी क, ख, और ग के अंतर्गत टीपीपी यूनिटों (दिल्ली-एनसीआर की 35 यूनिटों सहित) की संख्या और उनकी क्षमता का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

SO_2 उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए, कोयला/लिग्नाइट आधारित टीपीपी में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली स्थापित की जा रही है।

केंद्र सरकार द्वारा एमओईएफएंडसीसी की दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना में निर्धारित SO_2 उत्सर्जन मानकों की समीक्षा, इन मानकों की समय-सीमा में छूट या ढील के संबंध में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की सीमित उपलब्धता, इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, आपूर्ति श्रृंखला पर कोविड-19 महामारी का नकारात्मक प्रभाव, उच्च मांग और कम आपूर्ति के कारण मूल्य वृद्धि, परिवेशी वायु में कम SO_2 सांद्रता और विद्युत कीमत में वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं पर भारी बोझ आदि को ध्यान में रखते हुए की गई है।

उपर्युक्त के अलावा, इन मानकों की सार्वभौमिक प्रयोज्यता और प्रवर्तन की आवश्यकता का मूल्यांकन करने हेतु इन मानकों के संबंध में प्रभावशीलता और औचित्य तथा क्षेत्र के समग्र परिवेशी वायु प्रदूषण में इसकी भूमिका के संबंध में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों पर भी विचार किया गया था।

उपर्युक्त के आलोक में, अब एमओएफएंडसीसी ने टीपीपी के लिए SO_2 उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता के संबंध में समय-सीमा सहित दिनांक 11.07.2025 को एक अधिसूचना जारी की है और इसका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) दिनांक 31.12.2030 से पहले बंद होना घोषित किए गए ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा SO_2 उत्सर्जन के लिए निर्दिष्ट मानकों को पूरा करना अपेक्षित नहीं होगा, यदि ऐसे संयंत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को बंद होने के आधार पर छूट के लिए वचनबद्धता प्रस्तुत करते हैं;

(ii) श्रेणी 'क' के मौजूदा और चालू होने वाले ताप विद्युत संयंत्रों को दिनांक 31.12.2027 तक SO_2 उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करना होगा। दिनांक 31.12.2027 के बाद चालू होने वाले श्रेणी 'क' के अन्य संयंत्र इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही परिचालन में आएंगे;

(iii) श्रेणी 'ख' के सभी संयंत्रों या यूनिटों, मौजूदा या आगामी, के लिए SO_2 उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता, दिनांक 11.07.2025 की अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ताप विद्युत परियोजनाओं की प्रभारी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी;

(iv) SO_2 उत्सर्जन मानक सभी श्रेणी-ग ताप विद्युत संयंत्रों पर लागू नहीं होंगे, बशर्ते कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.08.1990 को अधिसूचित स्टैक ऊंचाई मानदंडों का अनुपालन किया जाए तथा स्टैक ऊंचाई मानदंडों के अनुपालन सुनिश्चित करने की समय-सीमा दिनांक 31.12.2029 है।

टीपीपी में SO_2 उत्सर्जन मानकों की श्रेणीवार प्रयोज्यता का निर्धारण विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययनों और देश भर में, टीपीपी के निकटवर्ती क्षेत्रों सहित, परिवेशी SO_2 सांद्रता के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। इस दृष्टिकोण में घनी आबादी वाले और अन्य वायु प्रदूषण-संवेदनशील क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और इसे कम करने संबंधी एहतियाती सिद्धांत को अपनाया गया है, साथ ही यह जल, सहायक विद्युत और चूना पत्थर के अतिरिक्त उपभोग से बचाव कर संसाधन संरक्षण पर भी ज़ोर देता है, और एफजीडी की स्थापना के परिणामस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट/CO_2 उत्सर्जन में वृद्धि को रोकता है, तथा इसके साथ ही इन उपायों के लिए अपेक्षित चूना पत्थर के खनन और परिवहन पर भी ध्यान देता है।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4601

अनुबंध-I

श्रेणी क, ख और ग के अंतर्गत टीपीपी यूनिटों का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य	टीपीपी यूनिटों की संख्या				
		श्रेणी क	श्रेणी ख	श्रेणी ग	यूनिटों की कुल संख्या	कुल क्षमता (मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	13	0	18	31	11,590
2	असम	0	0	03	03	750
3	बिहार	0	4	20	24	7,960
4	छत्तीसगढ	0	18	45	63	23,688
5	गुजरात	03	0	43	46	16,092
6	हरियाणा*	08	0	04	12	5,330
7	झारखंड	0	0	13	13	4,250
8	कर्नाटक	0	0	22	22	9,480
9	मध्य प्रदेश	0	0	50	50	21,950
10	महाराष्ट्र	15	11	46	72	24,966
11	ओडिशा	0	03	17	20	10,140
12	पंजाब*	0	0	15	15	5,680
13	राजस्थान	07	0	30	37	10,480
14	तमिलनाडु	08	17	16	41	13,685
15	तेलंगाना	0	0	19	19	7,572.5
16	उत्तर प्रदेश*	06	09	62	77	23,729
17	पश्चिम बंगाल	06	10	39	55	14,177
	कुल	**66**	**72**	**462**	**600**	**2,11,519.5**

***टिप्पणी-** दिल्ली एनसीआर में टीपीपी की 35 यूनिट शामिल हैं (हरियाणा-12 यूनिट, पंजाब-13 यूनिट, उत्तर प्रदेश-10 यूनिट)।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4602

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी

4602. श्री मड्डीला गुरूमूर्तिः:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) इकाइयों की अनिवार्य स्थापना को वापस लेने की प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली समिति की हालिया सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और यदि हों, तो स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके जोखिम के बावजूद इसे वापस लेने के क्या कारण हैं:

(ख) क्या ताप विद्युत संयंत्रों से सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) उत्सर्जन को नियंत्रित करने में एफजीडी प्रणालियों को बदलने के लिए कोई वैकल्पिक तकनीक या विनियामक ढांचा प्रस्तावित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार तटीय और गैर-तटीय ताप विद्युत संयंत्रों के लिए समुद्री जल आधारित एफजीडी उपचार जैसे सस्ते विकल्पों तक उनकी पहुँच के आधार पर एक विभेदकारी नीति पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 07.12.2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए उत्सर्जन मानकों [सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) सहित] को अधिसूचित किया। इसके अतिरिक्त, एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से उत्सर्जन मानकों के अनुपालन हेतु टीपीपी को निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया:

(i) **श्रेणी-क** (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में);
(ii) **श्रेणी-ख** (गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या अनुपालन न करने वाले क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में);
(iii) **श्रेणी-ग** (श्रेणी क और ख में शामिल के अलावा)।

SO_2 उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए, कोयला/लिग्नाइट आधारित टीपीपी में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियां संस्थापित की जा रही हैं।

केंद्र सरकार द्वारा एमओईएफएंडसीसी की दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना में निर्धारित SO_2 उत्सर्जन मानकों की समीक्षा, इन मानकों की समय-सीमा में छूट या ढील के संबंध में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की सीमित उपलब्धता, इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, आपूर्ति श्रृंखला पर कोविड-19 महामारी का नकारात्मक प्रभाव, उच्च मांग और कम आपूर्ति के कारण मूल्य वृद्धि, परिवेशी वायु में कम SO_2 सांद्रता और विद्युत कीमत में वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं पर भारी बोझ आदि को ध्यान में रखते हुए की गई है।

इसके अलावा, इन मानकों की सार्वभौमिक प्रयोज्यता और प्रवर्तन की आवश्यकता का मूल्यांकन करने हेतु इन मानकों के संबंध में प्रभावशीलता और औचित्य तथा क्षेत्र के समग्र परिवेशी वायु प्रदूषण में इसकी भूमिका के संबंध में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों पर भी विचार किया गया।

इस मामले में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय (एमओपी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) कार्यालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), अनुसंधान संस्थानों के बीच विभिन्न हितधारकों की परामर्श बैठकें भी आयोजित की गईं थीं। भारत सरकार के पीएसए की अध्यक्षता में हुई बैठक सहित हितधारकों की परामर्श बैठकों की सिफारिशों पर भी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था।

उपर्युक्त के आलोक में, एमओएफएंडसीसी ने टीपीपी के लिए SO_2 उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता के संबंध में समय-सीमा सहित दिनांक 11.07.2025 को एक अधिसूचना जारी की है और इसका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) दिनांक 31.12.2030 से पहले बंद होना घोषित किए गए ताप विद्युत संयंत्रों को SO_2 उत्सर्जन के लिए निर्दिष्ट मानकों को पूरा करना अपेक्षित नहीं होगा, यदि ऐसे संयंत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को बंद होने के आधार पर छूट के लिए वचनबद्धता प्रस्तुत करते हैं;

(ii) श्रेणी 'क' के मौजूदा और चालू होने वाले ताप विद्युत संयंत्रों को दिनांक 31.12.2027 तक SO_2 उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करना होगा। दिनांक 31.12.2027 के बाद चालू होने वाले श्रेणी 'क' के अन्य संयंत्र इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही परिचालन में आएंगे;

(iii) श्रेणी 'ख' के सभी संयंत्रों या यूनिटों मौजूदा या आगामी, के लिए SO_2 उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता, दिनांक 11.07.2025 की अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ताप विद्युत परियोजनाओं की प्रभारी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी;

(iv) SO_2 उत्सर्जन मानक सभी श्रेणी-ग ताप विद्युत संयंत्रों पर लागू नहीं होंगे, बशर्ते कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.08.1990 को अधिसूचित स्टैक ऊंचाई मानदंडों का अनुपालन किया जाए तथा स्टैक ऊंचाई मानदंडों के अनुपालन सुनिश्चित करने की समय-सीमा दिनांक 31.12.2029 है।

टीपीपी में SO_2 उत्सर्जन मानकों की श्रेणीवार प्रयोज्यता का निर्धारण विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययनों और देश भर में, टीपीपी के निकटवर्ती क्षेत्रों सहित, परिवेशी SO_2 सांद्रता के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। इस दृष्टिकोण में घनी आबादी वाले और अन्य वायु प्रदूषण-संवेदनशील क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और इसे कम करने संबंधी एहतियाती सिद्धांत हैं, साथ ही जल, सहायक विद्युत और चूना पत्थर के अतिरिक्त उपभोग से बचाव कर संसाधन संरक्षण पर भी ज़ोर देता है, और एफजीडी की स्थापना के परिणामस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट/CO_2 उत्सर्जन में वृद्धि को रोकता है, साथ ही इन उपायों के लिए अपेक्षित चूना पत्थर के खनन और परिवहन पर भी ध्यान देता है।

उन सभी मामलों में जहाँ SO_2 उत्सर्जन मानक लागू नहीं होते हैं, ऐसे सभी ताप विद्युत संयंत्र (स्थान की परवाह किए बिना), प्रदूषकों के उचित प्रसार और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम करने के लिए टीपीपी से SO_2 उत्सर्जनों को नियंत्रित करने के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.08.1990 को अधिसूचित स्टैक ऊँचाई मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त, ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है, अन्यथा अनुपालन न करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी।

एफजीडी स्थापना के लिए प्रौद्योगिकी का चयन यूटिलिटी द्वारा लागत-लाभ विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। एफजीडी स्थापना संबंधी नीति तटीय और गैर-तटीय ताप विद्युत संयंत्रों में भेद नहीं करती है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4613
दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

पीएम-जनमन के तहत बिजली कनेक्शन

4613. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत सभी वंचित घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश राज्य में इसके कार्यान्वयन की वर्षवार और जिलावार स्थिति क्या है;

(ग) क्या इसके अंतर्गत परियोजनाओं में समय और लागत में कोई वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि कोई विलंब हुआ है तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : भारत सरकार मौजूदा संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत सभी छूटे हुए अविद्युतीकृत घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय परिवारों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों और जहाँ भी संभव हो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती क्षेत्रों के परिवारों के लिए स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं। पीएम-जनमन के अंतर्गत, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार 1,27,987 घरों को ऑन-ग्रिड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 332 करोड़ रुपये के सकल बजटीय सहायता के साथ 522 करोड़ रुपये की धनराशि के कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य योजना के अंतर्गत गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में 16,946 पीवीटीजी घरों के विद्युतीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब तक 1,25,130 पीवीटीजी के घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश राज्य में विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत कुल 24,967 घरों में से अब तक 24,925 घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश राज्य में पीएम-जनमन की जिलावार और वर्षवार स्थिति **अनुबंध** पर दी गई है।

(ग) और (घ) : पीएम-जनमन के तहत स्वीकृत सभी घरेलू विद्युतीकरण कार्य मार्च, 2026 तक पूरे किए जाने हैं और आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा अब तक समय या लागत में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4613

अनुबंध

आंध्र प्रदेश राज्य में पीएम-जनमन की जिलावार स्थिति

क्रम सं.	जिले का नाम	घरों की स्वीकृत संख्या	दिनांक 13.08.2025 तक विद्युतीकृत घर
1	श्रीकाकुलम	828	851
2	विजयनगरम	150	99
3	पार्वतीपुरमण्यम	3,407	3400
4	अल्लूरी सीताराम राजू	17493	17,270
5	पूर्वी गोदावरी	4	39
6	काकीनाडा	9	9
7	एलुरु	1,196	1,196
9	अंकापल्ली	0	160
10	गुंटूर	772	770
11	प्रकाशम	982	982
12	नांदयाल	126	149
	कुल	**24,967**	**24,925**

आंध्र प्रदेश में विद्युतीकृत घरों का वर्ष-वार विवरण (दिनांक 13.08.2025 तक):

यूटिलिटी	विद्युतीकृत घरों की संख्या			
	2023-24	**2024-2025**	**वित्त वर्ष 2025-26**	**कुल**
एपीसीपीडीसीएल		1,752	0	1,752
एपीईपीडीसीएल	17,199	5,587	238	23,024
एपीएसपीडीसीएल		149	0	1,49
कुल	**17,199**	**7,488**	**238**	**24,925**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4616
दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियां

4616. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) ने अनुसूचित जातियों (अजा) और अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें अग्रेषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एनटीपीसी ने इन अग्रेषित रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एनटीपीसी ने दूरदराज के क्षेत्रों के लिए चयनित उम्मीदवारों को त्यागपत्र देने से हतोत्साहित करने के लिए उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है या बनाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : जी हां, एनटीपीसी लिमिटेड अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए भारत सरकार के आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है और उनकी रिक्तियां तदनुसार निर्धारित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 01.01.2025 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रिक्त आरक्षित रिक्तियों को नीचे दिए गए अनुसार अग्रेषित किया गया है:

पदों की श्रेणी	एससी श्रेणी	एसटी श्रेणी
ग्रुप-ए	26	15
ग्रुप-बी	-	-
ग्रुप-सी	-	13
ग्रुप-डी	-	-

(ग) और (घ) : एनटीपीसी लिमिटेड दिसंबर, 2025 तक उपर्युक्त अग्रेषित (बैकलॉग) रिक्तियों को भरने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

अग्रेषित (बैकलॉग) रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर विशेष भर्ती अभियान (एसआरडी) आयोजित किए जा रहे हैं। भर्ती वर्ष 2025 में, जून 2025 तक 02 विशेष भर्ती अभियान (एसआरडी) शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भी नियमित भर्ती विज्ञापनों के माध्यम से विज्ञापित किया गया है।

(ङ) और (च) : एनटीपीसी लिमिटेड, डीपीई (सार्वजनिक उद्यम विभाग) के दिनांक 07.09.2017 के दिशानिर्देशों के अनुरूप, राष्ट्रपति के निर्देश जारी होने की तिथि अर्थात 10.05.2018 से निम्नलिखित स्थान भत्ते का भुगतान कर रहा है:

i. पूर्वोत्तर में स्थित एनटीपीसी परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों को मूल वेतन के 10% की दर से पूर्वोत्तर भत्ता।
ii. दुर्गम एवं दूर-दराज क्षेत्रों के लिए विशेष भत्ता
iii. एनटीपीसी प्रवेशकालिक कार्यक्रम विविध पृष्ठभूमि से आने वाले नए कर्मचारियों को संगठनात्मक मूल्यों/संस्कृति में आत्मसात करने और नौकरी करने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने में भी मदद करता है।

****

भारत सरकार

विद्‌युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4619

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

महाराष्ट्र में गैर-विद्‌युतीकृत गाँव

4619. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः

क्या **विद्‌युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में ऐसे गाँवों और बस्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनका अभी तक विद्‌युतीकरण नहीं हुआ है या जो विशेष रूप से दूरदराज, आदिवासी और वन क्षेत्रों में अनियमित और अनिश्चित बिजली आपूर्ति का सामना कर रहे हैं;

(ख) महाराष्ट्र में, विशेष रूप से गढ़चिरौली, नंदुरबार, पालघर, अमरावती के मेलघाट क्षेत्र और अन्य आदिवासी बहुल या वन सीमांत क्षेत्रों में ऐसे अविद्‌युतीकृत या अल्पविद्‌युतीकृत गाँवों और बस्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के दुर्गम इलाकों में स्थित बस्तियों तक अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सहित 100% गाँव और घरों का विद्‌युतीकरण करने के लिए कोई समय-सीमा या चरण-वार कार्ययोजना निर्धारित की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र के आदिवासी समुदायों, वनवासी आबादी और आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्‌वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्‌युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : विद्‌युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्‌युत की आपूर्ति करेगा। हालाँकि, आयोग, कृषि जैसे कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और दूरस्थ, आदिवासी तथा वन क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों पर लागू हैं।

भारत सरकार ने पहले दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि स्कीमों के माध्यम से और वर्तमान में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान की है ताकि उन्हें, सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत गांवों का दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें महाराष्ट्र राज्य के 80 गाँव शामिल हैं (महाराष्ट्र का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है)। डीडीयूजीजेवाई और उसके बाद सौभाग्य के अंतर्गत, जैसा कि सभी राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूरा कर लिया गया था। सौभाग्य के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें महाराष्ट्र राज्य के 15,17,922 घर शामिल हैं। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

आरडीएसएस के अंतर्गत, विद्युतीकरण के मानदंडों में ढील दी गई है और व्यवहार्यता के आधार पर, सभी छूटे हुए घरों को शामिल करने के लिए विद्युतीकरण की लागत की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई है। जहाँ भी व्यवहार्य नहीं पाया गया, वहाँ नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सोलर फोटोवोल्टिक आधारित विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी गई है।

अब तक, आरडीएसएस के अंतर्गत 13.64 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,513 करोड़ रुपये के कार्यों को संस्वीकृति दी जा चुकी है, (राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है) जिनमें महाराष्ट्र राज्य के 17,529 घर शामिल हैं (महाराष्ट्र का विवरण **अनुबंध-III** पर दिया गया है)। इसमें पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान) के अंतर्गत चिन्हित सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घरों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय घरों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के घरों और जहाँ भी व्यवहार्य हो,वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती घरों के लिए स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं। इन कार्यों के स्कीम अवधि के अंत तक पूरा होने की अपेक्षा है।

इसके अतिरिक्त, नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत दिनांक 30 जून, 2025 तक 9,961 घरों के ऑफ-ग्रिड सोलर आधारित विद्युतीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। राज्यवार विवरण **अनुबंध-IV** पर दिया गया है।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4619

अनुबंध-I

डीडीयूजीजेवाई के दौरान विद्युतीकृत महाराष्ट्र के गांवों का विवरण

जिला	**विद्युतीकृत गांवों की संख्या**
अमरावती	1
गडचिरोली	51
नंदुरबार	25
रायगढ़	1
थाने	1
यवतमाल	1
कुल योग	**80**

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4619

अनुबंध-II

आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत राज्यवार घरेलू विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृति विवरण			कुल (घर + सार्वजनिक स्थान) विद्युतीकृत
		व्यय	जीबीएस	कुल (घर + सार्वजनिक स्थान)	
1	आंध्र प्रदेश	161	97	46,356	42,749
2	अरुणाचल प्रदेश	76	68	10,136	7
3	असम	786	707	1,27,111	0
4	बिहार	301	180	42,584	0
5	छत्तीसगढ़	423	254	80,734	9,031
6	गुजरात	0	0	0	6,626
7	हिमाचल प्रदेश	7	6	100	0
8	जम्मू एवं कश्मीर	197	177	29,183	0
9	झारखंड	206	124	40,454	5,948
10	कर्नाटक	36	22	5,844	1,660
11	केरल	7	4	1,482	448
12	मध्य प्रदेश	459	275	90,265	24,751
13	महाराष्ट्र	57	34	17,529	15,044
14	मणिपुर	214	193	36,972	0
15	मेघालय	436	392	50,501	0
16	मिजोरम	80	72	15,167	0
17	नागालैंड	70	63	10,004	0
18	ओडिशा	0	0	0	2,588
19	राजस्थान	1765	1059	4,39,372	95,986
20	तमिलनाडु	30	18	8,603	6,348
21	तेलंगाना	120	72	31,081	5,871
22	त्रिपुरा	105	94	19,853	11,835
23	उत्तर प्रदेश	964	579	2,58,700	245
24	उत्तराखंड	15	13	2,049	742
25	पश्चिम बंगाल	-	-	-	3,372
	कुल	**6513**	**4503**	**13,64,080**	**2,33,251**

नोट: गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पीवीटीजी घरों को राज्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किया जा रहा है।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4619

अनुबंध-III

आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत महाराष्ट्र के घरों का विवरण

जिला	**स्वीकृत घरों की संख्या**
अहिल्यानगर	579
अहमदनगर	161
अकोला	103
अमरावती	13
बीड	262
भंडारा	2
बुलढाना	538
सी.संभाजीनगर	103
चंद्रपुर	508
धुले	411
गडचिरोली	495
गोंदिया	185
हिंगोली	818
जलगांव	384
जलना	78
लातूर	42
नांदेड़	372
नासिक	3,109
उस्मानाबाद	55
पालघर	1,879
परभनी	457
पुणे	1,035
रायगढ़	3,837
सतारा	50
सोलापुर	259
थाइन	615
वर्धा	16
वाशिम	211
यवतमाल	881
कोल्हापुर	6
सिंधुदुर्ग	65
कुल योग	**17,529**

****

<u>लो.स.अतारां.प्र.सं. 4619</u>

अनुबंध-IV

नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सोलर आधारित घरेलू विद्युतीकरण को दी गई स्वीकृति

क्रम सं.	**राज्य**	**स्वीकृत घरों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	1,675
2	छत्तीसगढ	1,578
3	झारखंड	2,342
4	मध्य प्रदेश	2,060
5	कर्नाटक	179
6	केरल	98
7	तेलंगाना	326
8	त्रिपुरा	1,703
कुल		**9,961**

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4644
दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

वितरण हेतु सुधार-उन्मुखी परिणाम-आधारित योजना

4644. श्री आदित्य यादवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की नवीनतम 'वितरण हेतु सुधार-उन्मुखी परिणाम-आधारित योजना' (आरएलआरबीएसडी) का उद्देश्य भारत की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की अक्षमताओं पर अंकुश लगाना और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2021 में 3,03,758 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई थी, जिसमें 97,631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य वितरण यूटिलिटी की वित्तीय स्थिरता और प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करना है। इस स्कीम में, स्कीम अवधि के अंत तक अर्थात दिनांक 31.03.2028 तक अखिल भारतीय स्तर पर समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को 12-15% तक कम करने तथा आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर अंतर) के बीच अंतर को शून्य तक कम करने की परिकल्पना की गई है।

स्कीम के अंतर्गत जारी केन्द्रीय अनुदान को एटीएंडसी हानियों और एसीएस-एआरआर अंतराल में सुधार सहित विभिन्न वित्तीय और प्रचालनात्मक मापदंडों के कार्य-निष्पादन के साथ जोड़ा गया है।

आरडीएसएस के अंतर्गत 2.83 लाख करोड़ रुपये की राशि के अवसंरचना कार्य, स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित, को संस्वीकृति दी गई है।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयास से, राष्ट्रीय स्तर पर, वितरण यूटिलिटी का एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 16.12% हो गई है और एसीएस-एआरआर अंतर वित्त वर्ष 2021 में 0.69 रुपये/किलोवाट घंटा से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 0.19 रुपये/किलोवाट घंटा हो गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4670

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली के उद्देश्य

4670. श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभीः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एनएफएमएस) के प्रमुख उद्देश्य, विशेषताएँ और तकनीकी रूपरेखा क्या हैं और यह संपूर्ण देश में ग्रामीण और शहरी फीडरों की वास्तविक समय डेटा निगरानी में किस प्रकार सहायक है;

(ख) वर्तमान में एनएफएमएस प्लेटफार्म के साथ निगरानी और एकीकृत किए जा रहे फीडरों की कुल संख्या कितनी है और साथ ही इसमें शामिल वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की संख्या विशेषकर महाराष्ट्र में कार्यरत कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ग) महाराष्ट्र के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एनएफएमएस का कितना कार्यान्वयन किया गया है;

(घ) क्या जलगाँव जैसे जिले इस प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में फीडर-स्तरीय पारदर्शिता में सुधार, समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करने, और कृषि उपभोक्ताओं तथा ग्रामीण परिवारों को विश्वसनीयता पारदर्शिता, दक्षता और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में एनएफएमएस का क्या प्रभाव है; और

(च) क्या सरकार ने एनएफएमएस डेटा के संबंध में, इस आधार पर राज्य उपयोगिताओं के लिए कोई कार्यनिष्पादन-संबंधी दिशानिर्देश या मूल्यांकन मानदंड जारी किए हैं और साथ ही उक्त राज्य में कर्मियों को प्रशिक्षित करने और अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (च) : राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एनएफएमएस) का उद्देश्य निर्बाध मशीन-टू-मशीन (एम2एम) स्वचालित आंकड़ों के प्रवाह के आधार पर आपूर्ति घंटों और आउटेज सहित मापदंडों के लिए 11 केवी फीडरों की निगरानी करना है।

मूलतः, एनएफएमएस एक निगरानी डैशबोर्ड है जो संचार योग्य फीडर मीटरों से आंकड़े एकत्र करता है। यह वितरण कंपनियों को विद्युत वितरण प्रणालियों के कार्य निष्पादन पर नज़र रखने और सुधार के क्षेत्रों को चिह्नित करने में सक्षम बनाएगा। एनएफएमएस डैशबोर्ड का एटीएंडसी हानियों या विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और दक्षता में

सुधार पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यह कंपनियों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक कदम उठाने में सक्षम बनाने हेतु विद्युत आपूर्ति मापदंडों की निगरानी करने में सहायता करता है।

निगरानी को सुगम बनाने और अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत स्मार्ट फीडर मीटरिंग कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। यूटिलिटि फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर पर संस्थापित मीटरों सहित, स्थापित मीटरों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग कर सकती हैं, जिससे ऊर्जा लेखा परीक्षा करने और उच्च हानि वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने में मदद मिलेगी। इन जानकारियों का उपयोग तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

अब तक 72 वितरण यूटिलिटि के कुल 2,49,507, 11 केवी फीडरों में से 2,06,767 फीडरों को एनएफएमएस के साथ एकीकृत किया जा चुका है। जलगाँव जिले सहित महाराष्ट्र राज्य के 5 वितरण यूटिलिटि के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 26,461, 11 केवी फीडरों में से 26,272 फीडरों को एनएफएमएस के साथ एकीकृत किया जा चुका है।

आरडीएसएस के अंतर्गत, अवसंरचना कार्यों के लिए धनराशि जारी किए जाने को, 90% से अधिक फीडर मीटरों (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 85%) का राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली से संचार से जुड़ा होने के साथ लिंक किया गया है। इसके अलावा, आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग संबंधी कार्यों के लिए वितरण यूटिलिटी के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक, यूटिलिटी कर्मचारियों के 1,682 कनिष्ठ कर्मचारियों (लाइनमैन, तकनीशियन और गैर-तकनीकी कर्मचारी) को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4689
दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

उत्तराखंड में विद्युत उत्पादन

4689. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तराखंड में विद्युत उत्पादन के लिए कोई वार्षिक या दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तराखंड द्वारा राष्ट्रीय ग्रिड को प्रतिवर्ष विद्युत की बिक्री की जाती है और यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विद्युत की कितनी बिक्री की गई है;

(ग) क्या अगले तीन वर्षों के दौरान उत्तराखंड से राष्ट्रीय ग्रिड को विद्युत आपूर्ति में वृद्धि अपेक्षित है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी अनुमानित आंकड़े क्या हैं; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में विद्युत उत्पादन, विशेषकर जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी प्रमुख योजनाएँ या परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश के सभी उत्पादन केंद्रों के लिए ईंधन-वार उत्पादन कार्यक्रम सीईए द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है। उत्तराखंड स्थित उत्पादन केंद्रों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 16,625 मिलियन यूनिट (एमयू) है।

(ख) : उत्तराखंड राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, अस्थायी सामान्य नेटवर्क एक्सेस (टी-जीएनए) द्विपक्षीय और सामूहिक बाजार में उत्तराखंड द्वारा बेची गई निवल विद्युत का विभाजन **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ग) एवं (घ) : वर्तमान में, उत्तराखंड में चार (4) जलविद्युत परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं, जैसा कि **अनुबंध-II** पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) द्वारा राज्य ग्रिड को विद्युत आपूर्ति हेतु 266 मेगावाट/665 मेगावाट घंटा क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) और 61.25 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएँ अगले तीन वर्षों में शुरू होने की अपेक्षा है।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4689

अनुबंध-I

अस्थायी सामान्य नेटवर्क एक्सेस (टी-जीएनए) द्विपक्षीय और सामूहिक बाजार में उत्तराखंड द्वारा बेची जाने वाली निवल विद्युत का विभाजन

वित्त वर्ष	क्रय (एमयू)	विक्रय (एमयू)	निवल (एमयू)
2023-24	2,267	561	1,706
2024-25	10,831	3,995	6,836
2025-26*	1,761	10,986	-9,225

नोट: 1)*10 अगस्त 2025 तक के आंकड़े

2) इस आंकड़े में उत्तराखंड राज्य (डिस्कॉम, राज्य एम्बेडेड उत्पादक, आईपीपी और भार) शामिल हैं।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4689

अनुबंध-II

उत्तराखंड में कार्यान्वित की जा रही जलविद्युत परियोजनाएं

क्रम सं	परियोजना/कार्यकारी एजेंसी का नाम	जिला	संस्थापित क्षमता	नदी का जलाशय	कमीशनिंग की अनुमानित तिथि
1	विष्णुगाड पीपलकोटी (टीएचडीसी)	चमोली	444 मेगावाट (4x111 मेगावाट)	अलकनंदा/गंगा	2026-27 (मार्च'27)
2	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	चमोली	520 मेगावाट (4x130 मेगावाट)	धौलीगंगा/अलकनंदा और/गंगा	2028-29 (मार्च'29)
3	लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना(यूजेवीएनएल)	देहरादून और टिहरी गढ़वाल	300 मेगावाट (3x100)	यमुना	2031-32 (दिसम्बर'31)
4	टिहरी पंप भंडारण स्टेशन (टीएचडीसी)	टिहरी गढ़वाल	500 (2x250 मेगावाट)	भिलंगना/भागीरथी/गंगा	2025-26 (अकतूबर '25)#

(#)टिहरी पीएसएस की 4 (चार) इकाइयों में से, 250 मेगावाट की 2 (दो) इकाइयों को क्रमशः दिनांक 05.06.2025 और दिनांक 05.07.2025 को शुरू किया गया।

टीएचडीसी: टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

यूजेवीएनएल: उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4706
दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली की क्षमता

4706. श्री ए. राजा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की वर्तमान स्थापित क्षमता कितनी है और इस संबंध में प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है;

(ग) सरकार द्वारा राज्यों में बीईएसएस को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है जिसमें उक्त परियोजनाओं को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और राजसहायता भी शामिल है; और

(घ) क्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने बीईएसएस की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए कोई मसौदा विनियम जारी किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : देश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) परियोजनाओं (1 मेगावाट घंटा से अधिक क्षमता) की वर्तमान संस्थापित क्षमता 204.5 मेगावाट (505.6 मेगावाट घंटा) है। विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ख) : बीईएसएस के प्रमुख घटक जैसे सेल और बैटरी प्रबंधन प्रणाली वर्तमान में आयातित प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं।

(ग) : राज्यों में बीईएसएस को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. अवसंरचना की समन्वित मास्टर सूची में ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) को शामिल करना।
ii. खरीद योजना के एक तत्व के रूप में ईएसएस को शामिल करना।
iii. उत्पादन, पारेषण, वितरण या सहायक सेवाओं के भाग के रूप में बीईएसएस की खरीद और उपयोग के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी करना।
iv. जून 2028 तक शुरु होने वाली सह-स्थित बीईएसएस परियोजनाओं के लिए 12 वर्षों के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण (आईएसटीएस) शुल्क में छूट। गैर-सह-स्थित बीईएसएस के लिए, जून 2025 तक शुरु होने वाली परियोजनाओं के लिए 100% छूट, और उसके बाद 25% वार्षिक दर से छूट में क्रमिक कमी।
v. देश में लगभग 43.2 गीगावाट घंटा बीईएसएस क्षमता के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीमों का कार्यान्वयन।

(घ) : सीईए ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए दिनांक 19.06.2025 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित उपाय) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया है, जिसमें बीईएसएस के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं को शामिल किया गया है।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4706

अनुबंध

देश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (1 मेगावाट से अधिक क्षमता) का विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम और पता	राज्य	क्षमता	
			मेगावाट	मेगावाट घंटा
1.	दिल्ली के रोहिणी में टाटा पावर-डीडीएल सब-स्टेशन पर 10मेगावाट/10मेगावाट घंटा बीईएसएस परियोजना	दिल्ली	10	10
2.	दक्षिण अंडमान के डॉलीगंज और अट्टम पहाड़ में 16 मेगावाट/8 मेगावाट घंटा बीईएसएस के साथ एकीकृत 20 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना	अंडमान एवं निकोबार	16	8
3.	मोढेरा सन टेंपल सौर ऊर्जा से संचालित बीईएसएस	गुजरात	6	19.2
4.	लक्षद्वीप में 0.5 मेगावाट/1.4 मेगावाट घंटा बीईएसएस (कवारत्ती में) सहित 1.7 मेगावाट सौर पीवी विद्युत संयंत्र	लक्षद्वीप	0.5	1.4
5.	राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में बीईएसएस परियोजना - 40 मेगावाट/120 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 100 मेगावाट (एसी) सौर पीवी परियोजना	छत्तीसगढ	40	120
6.	जीएसईसीएल गुजरात सोलर प्लस स्टोरेज हाइब्रिड - कच्छ लिग्नाइट ताप विद्युत स्टेशन (केएलटीपीएस) में 57 मेगावाट बीईएसएस के साथ 35 मेगावाट सौर पीवी	गुजरात	12	57
7.	75 मेगावाट/150 मेगावाट बीईएसएस सहित एसईसीआई 1200 मेगावाट नवीकरणीय	कर्नाटक	75	150
8.	25मेगावाट/100मेगावाट घंटा बीईएसएस सहित एसईसीआई आरटीसी 400 मेगावाट नवीकरणीय	राजस्थान	25	100
9.	टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत दिल्ली में 20 मेगावाट/40 मेगावाट घंटा बीईएसएस	दिल्ली	20	40

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4710
दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

सोनभद्र में गाँवों का विद्युतीकरण

4710. श्री छोटेलालः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रॉबर्ट्सगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आकांक्षी जिले सोनभद्र के आदिवासी क्षेत्रों के कई गाँव अभी भी बिजली से वंचित हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त गाँवों का पूर्ण विद्युतीकरण कब तक होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने पहले दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और वर्तमान में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) जैसी स्कीमों के माध्यम से सभी घरों को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य के संबंध में राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान की है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, राज्य के सभी गैर-विद्युतीकृत आबाद गाँवों का दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। इसके बाद, सौभाग्य के दौरान, जैसाकि राज्यों द्वारा सूचना दी गई है, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। सोनभद्र जिले में कुल 1,21,133 घरों का विद्युतीकरण किया गया था।

संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत, जहां भी व्यवहार्य पाया गया, पहले छूटे हुए घरों के लिए विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत अभिचिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घरों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय परिवारों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति समुदाय के घरों और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों के घरों के लिए संस्वीकृत विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, सोनभद्र जिले में कुल 5,131 घरों के विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2,983 आदिवासी घर डीए-जेजीयूए के अंतर्गत संस्वीकृत हैं। इन कार्यों के दिसंबर, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4712

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

तेलंगाना में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र

†4712. श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेलंगाना में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक विद्युत संयंत्र की परिचालन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों के लिए भारत में पारदर्शी रूप से कोयला (कोल) दोहन और आवंटन योजना (शक्ति) को संशोधित किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह तेलंगाना में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को कोयला उपलब्धता में किस प्रकार सहायता करेगा; और

(घ) क्या सरकार ने संशोधित शक्ति योजना के कार्यान्वयन के बाद तेलंगाना में इन कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की क्षमता में संभावित वृद्धि का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : तेलंगाना में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र तथा प्रत्येक विद्युत संयंत्र की परिचालन क्षमता का विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	संगठन	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)
1.	रामागुंडम एसटीपीएस*	एनटीपीसी लिमिटेड	केन्द्रीय क्षेत्र	2,600
2.	तेलंगाना एसटीपीपी फेज-1			1,600
3.	सिंगरेनी टीपीपी**	एससीसीएल	राज्य क्षेत्र	1,200
4.	भद्राद्री टीपीपी	टीजीजेनको		1,080
5.	काकतीय टीपीएस*			1,100
6.	कोठागुडेम टीपीएस (नया)			1,000
7.	कोठागुडेम टीपीएस (स्टेज-7)			800
8.	रामागुंडम-बी टीपीएस			62.5
9.	यादाद्री टीपीएस			1,600
कुल योग				**11,042.5**

टिप्पणी: *एसटीपीएस/टीपीएस - सुपर थर्मल पावर स्टेशन, **टीपीपी - थर्मल पावर प्लांट।

(ख) और (ग) : सरकार ने दिनांक 07.05.2025 को "भारत में कोयला के पारदर्शी दोहन और आवंटन हेतु संशोधित स्कीम (शक्ति) नीति" [संशोधित शक्ति नीति, 2025] को मंजूरी दी है। संशोधित शक्ति नीति, 2025 कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.05.2025 को जारी की गई है। तेलंगाना सहित देश के किसी भी राज्य में स्थित विद्युत संयंत्र, (चालू/निर्माणाधीन/योजनाधीन) नीति में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार संशोधित शक्ति नीति, 2025 के तहत कोयला लिंकेज के लिए पात्र हैं। संशोधित शक्ति नीति, 2025 के प्रावधान विद्युत क्षेत्र को सरल तरीके से घरेलू कोयला लिंकेज की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। यह नीति विद्युत क्षेत्र के लिए पूर्ववर्ती कोयला लिंकेज आवंटन नीति के दायरे को बढ़ाती है, जिसमें अधिक अनुकूलन, व्यापक पात्रता और कोयले तक बेहतर पहुँच प्रदान की गई है।

(घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, देश में विद्युत संयंत्र की स्थापना एक लाइसेंस मुक्त गतिविधि है। कोई भी उत्पादन कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत बिना लाइसेंस के उत्पादन केंद्र स्थापित, संचालित और अनुरक्षित कर सकती है, बशर्ते वह ग्रिड से कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती हो। किसी राज्य में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता की उपलब्धता संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आती है।

विद्युत संयंत्र संशोधित शक्ति नीति, 2025 के अंतर्गत दीर्घकालिक/अल्पकालिक मांग के अपने आकलन के अनुसार आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला लिंकेज प्राप्त कर सकते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4729

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

पंपकृत भंडारण संयंत्रों की मंजूरी

4729. श्री दिलेश्वर कामैतः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री बिप्लब कुमार देबः
डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंपकृत स्टोरेज संयंत्रों (पीएसपी) के लिए स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की संख्या कितनी है और कुल अनुमोदित अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा पीएसपी की स्वीकृति में तेजी लाने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पीएसपी को तैयार करने और प्रस्तुत करने में निजी क्षेत्र को शामिल किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त परियोजनाओं का समयबद्ध और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा वर्ष 2002-03 से अब तक 15,350 मेगावाट की कुल क्षमता वाली पम्प भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) की कुल 12 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) पर सहमति प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) : पीएसपी की डीपीआर के अनुमोदन में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: -

i. सीईए ने डीपीआर पूर्व अध्यायों की संख्या को कम करके पीएसपी की डीपीआर तैयार करने के लिए जुलाई 2024 में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ii. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के साथ परामर्श के बाद, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित परियोजनाओं के लिए भूमिगत विद्युतघरों में अन्वेषणात्मक बहाव की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे आमतौर पर एस एंड आई गतिविधियों के दौरान होने वाले विलंब का समाधान हो गया है।

iii. सीईए ने जल विद्युत परियोजनाओं और पीएसपी की सर्वेक्षण एवं जाँच (एसएंडआई) गतिविधियों की निगरानी के लिए "जल विद्युत डीपीआर" पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल मूल्यांकन एजेंसियों और विकासकर्ताओं के कार्यप्रवाह और लंबित कार्यों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग करने में सक्षम बनाता है, जिससे विलंब का पता लगाने और उसे प्रभावी ढंग से दूर करने में सहायता मिलती है।

iv. भारत सरकार ने दिनांक 01.08.2025 की अधिसूचना के माध्यम से, चाहे पूंजीगत व्यय की मात्रा जो भी हो, ऑफ-स्ट्रीम क्लोज्ड-लूप पंप भंडारण स्कीमों को सीईए की सहमति की आवश्यकता से छूट दे दी है।

(घ) और (ङ) : पीएसपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और प्रस्तुत करने में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। वर्तमान में, निजी क्षेत्र के अंतर्गत 51,100 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 30 पीएसपी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किए जाने के लिए सर्वेक्षण एवं जाँच (एसएंडआई) चरण में हैं।

(च) एवं (छ) : भारत सरकार द्वारा पीएसपी सहित जल विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(क) जल विद्युत परियोजनाओं में समय और लागत में वृद्धि को कम करने के लिए दिशानिर्देश दिनांक 08.11.2019 को जारी किए गए हैं।

(ख) जल विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सीपीएसई के निर्माण अनुबंधों में स्वतंत्र अभियंताओं के माध्यम से विवाद निवारण तंत्र दिनांक 27.09.2021 को शुरू किया गया है।

(ग) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सीपीएसयू/सांविधिक निकायों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं में संविदात्मक विवादों के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समितियों (सीसीआईई) के माध्यम से विवाद समाधान दिनांक 29.12.2021 को शुरू किया गया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4732

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

उत्तर प्रदेश में विद्युत की मांग और आपूर्ति

4732. श्रीमती रुचि वीराः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में विशेषकर अधिकतम मांग वाले मौसम के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में इसकी मांग और आपूर्ति के वर्तमान आंकड़े क्या हैं;

(ग) इस अंतर को पाटने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निरंतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई दीर्घकालिक अवसंरचना स्थापित की जा रही है/की गई है अथवा नीतिगत पहल की जा रही है और यदि हां, तो ऐसी पहलों के कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले, विशेषकर मुरादाबाद जिले में विद्युत की वास्तविक मांग और आपूर्ति तथा औसत दैनिक बिजली कटौती (कटौती का समय) कितनी है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश की विद्युत आपूर्ति की स्थिति **अनुबंध-I** पर दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष 2025 के अप्रैल से जून के दौरान राज्य की मासिक विद्युत आपूर्ति की स्थिति **अनुबंध-II** पर दी गई है। ये विवरण दर्शाते हैं कि राज्यों में आपूर्ति की गई ऊर्जा लगभग ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप रही है। उत्तर प्रदेश में विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच का अंतर 2022-23 के दौरान 0.8% से घटकर वर्तमान वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) में लगभग शून्य हो गया है।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में निरंतर एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. उत्पादन योजना:

(i) राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। इसमें पारंपरिक स्रोतों - कोयला, लिग्नाइट आदि, और नवीकरणीय स्रोतों - सौर, पवन और जलविद्युत से प्राप्त क्षमता शामिल है।

(ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम मांग से अधिक बनी रहे सभी राज्यों ने सीईए के साथ परामर्श से अपनी **"संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ (आरएपी)"** तैयार की हैं, जो परिवर्तनशील 10 वर्षीय रोलिंग योजनाएँ हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत क्रय योजना भी शामिल है।

(iii) सभी राज्यों को उनकी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमता सृजित करने की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई है।

(iv) विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम की शुरूआत की है:

(क) वर्ष 2034-35 तक अनुमानित ताप (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट है, जबकि दिनांक 31.03.2023 तक संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त न्यूनतम **97,000 मेगावाट** कोयला और लिग्नाइट आधारित ताप क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की है।

विभिन्न पहलें पूर्व में ही शुरू की जा चुकी हैं। अप्रैल, 2023 से जून, 2025 तक लगभग 11,680 मेगावाट की ताप क्षमताएँ पहले ही शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा, 38,935 मेगावाट (5,695 मेगावाट की संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं सहित) ताप क्षमता वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2024-25 में 15,440 मेगावाट ताप क्षमता के लिए संविदा अवार्ड की जा चुकी हैं और इनका निर्माण कार्य पूरा होना है। देश में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए, 35,460 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो नियोजन के विभिन्न चरणों में है।

उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन केन्द्रीय क्षेत्र ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-III** पर दी गई है।

(ख) 13,463.5 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 9802 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाएँ नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 6,600 मेगावाट परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) 74,150 मेगावाट सौर, 30,080 मेगावाट पवन और 53,750 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 1,58,450 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 46,010 मेगावाट सौर और 15,990 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 62,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता, योजना के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ङ) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 8250 मेगावाट/49500 मेगावाट घंटा क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 5780 मेगावाट/34680 मेगावाट घंटा क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) स्वीकृत हैं और अभी निर्माण कार्य शुरू होना बाकी है। इनमें से 3500 मेगावाट/21000 मेगावाट घंटा क्षमता की पंप

भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) बोली प्रक्रिया में हैं और 15,829 मेगावाट/51,106 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) वर्तमान में निर्माण/बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

2. **पारेषण योजना**: अंतर-राज्यीय और अंत: राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और उत्पादन क्षमता संवर्धन के अनुरूप समय-सीमा में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1274 जीवीए परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 17,915.6 सीकेएम पारेषण लाइनें और 95.5 जीवीए परिवर्तन क्षमता शामिल है।

3. **वितरण प्रणाली योजना:**

भारत सरकार ने पहले भी दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने में मदद की है, जहाँ 1.85 लाख करोड़ रुपये की वितरण अवसंरचना परियोजनाएँ क्रियान्वित की गई हैं। वर्तमान में, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत 2.82 लाख करोड़ रुपये के अवसंरचना कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 40,739 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ शामिल हैं।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से, वित्त वर्ष 2025 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटों में सुधार होकर क्रमशः 22.6 घंटे और 23.4 घंटे हो गए हैं।

4. **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का संवर्धन:**

(i) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष की आरई विद्युत क्रय बोलियां जारी करने के लिए बोली ट्रेजेक्टरी जारी की है।

(ii) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

(iii) दिनांक 30 जून, 2025 तक शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु दिसंबर, 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए और दिसंबर, 2032 तक अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभार माफ कर दिए गए हैं।

(iv) नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के बाद वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) की रूपरेखा अधिसूचित की गई है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सभी अभिनामित उपभोक्ताओं पर प्रयोज्य आरसीओ का अनुपालन न करने पर शास्तियां लगाई जाएगी। आरसीओ में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की विनिर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।

(v) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म एवं डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(vi) प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत नई सौर विद्युत स्कीम (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए) जैसी स्कीमें अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्कीम शुरू की गई है।

(vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने हेतु सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम क्रियान्वित की जा रही है।

(viii) नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करने को वित्त पोषित किया गया है।

(ix) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्यनीति" जारी की गई है।

(x) तीव्र नवीकरणीय ऊर्जा ट्रेजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।

(xi) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) शुरू किया गया है।

(xii) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है। इससे उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट (जीडब्ल्यू) स्केल की विनिर्माण क्षमता प्राप्त होगी।

(ङ) : विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण**,** किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं/क्षेत्रों/जिलों को विद्युत आपूर्ति और वितरण**,** संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त, विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार**,** वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करेगा। तथापि**,** आयोग कृषि जैसे कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं।

राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मुरादाबाद जिले सहित उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत दैनिक घंटों का विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4732

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश की विद्युत आपूर्ति स्थिति।

वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	%
2022-23	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8
2023-24	1,48,791	1,48,287	504	0.3
2024-25	1,65,090	1,64,786	304	0.2
2025-26 (जून, 2025 तक)	46,028	46,022	6	0.0

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4732

अनुबंध-II

वर्तमान वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की माहवार विद्युत आपूर्ति स्थिति।

वर्ष	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	%
अप्रैल, 2025	13,075	13,072	3	0.0
मई, 2025	16,117	16,117	0	0.0
जून, 2025	16,837	16,833	4	0.0

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4732

अनुबंध-III

उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन केन्द्रीय क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाओं की सूची:

क्रम सं.	**परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी**	**यूनिट सं.**	**क्षमता (मेगावाट)**	**कमीशनिंग की अनुमानित तिथि**
1	खुर्जा एससीटीपीपी (टीएचडीसी)	यू-2	660	अगस्त-25
2	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	यू-2	660	सितंबर-25
3	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	यू-3	660	दिसंबर-25
4	सिंगरौली एसटीपीपी, चरण-III (एनटीपीसी)	यू-8	800	मई-29
5	सिंगरौली एसटीपीपी, चरण-III (एनटीपीसी)	यू-9	800	फरवरी-30

एससीटीपीपी: सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट

टीएचडीसी: टिहरी हाइड्रो डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन

एनयूपीपीएल: नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड

एसटीपीपी: सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4732

अनुबंध-IV

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (मई 2025)									
क्रम सं०	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
1	प्रयागराज	18:29	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
2	बलिया	18:29	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
3	देवरिया	18:29	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
4	वाराणसी	18:29	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
5	कुशीनगर	18:29	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
6	भदोही	18:36	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
7	गाजीपुर	18:36	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
8	मऊ	18:36	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
9	सन्तकबीर नगर	18:36	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
10	सोनभद्र	18:36	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
11	आजमगढ़	18:33	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
12	कौशाम्बी	18:33	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
13	महाराजगंज	18:33	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
14	सिद्धार्थनगर	18:33	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
15	प्रतापगढ़	18:33	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
16	बस्ती	18:38	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
17	चन्दौली	18:38	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
18	फतेहपुर	18:38	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
19	गोरखपुर	18:38	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
20	मिर्जापुर	18:38	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
21	जौनपुर	18:38	-	21:35	-	21:36	-	24:00	-
22	अम्बेडकरनगर	18:36	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
23	गोण्डा	18:36	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
24	लखीमपुरखीरी	18:36	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
25	शाहजहांपुर	18:36	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
26	सीतापुर	18:36	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
27	बहराइच	18:41	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
28	बाराबंकी	18:41	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
29	बदायूं	18:41	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
30	पीलीभीत	18:41	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
31	उन्नाव	18:41	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
32	अमेठी	18:33	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
33	हरदोई	18:33	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
34	रायबरेली	18:33	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
35	श्रावस्ती	18:33	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
36	बलरामपुर	18:38	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
37	बरेली	18:38	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
38	अयोध्या	18:38	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (मई 2025)

क्रम सं0	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
39	लखनऊ	18:38	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
40	सुल्तानपुर	18:38	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
41	आगरा	18:36	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
42	औरैया	18:36	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
43	फिरोजाबाद	18:36	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
44	कानपुर	18:36	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
45	इटावा	18:39	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
46	हाथरस	18:39	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
47	कासगंज	18:39	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
48	मथुरा	18:39	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
49	अलीगढ़	18:34	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
50	फर्रुखाबाद	18:34	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
51	मैनपुरी	18:34	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
52	एटा	18:36	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
53	कानपुर देहात	18:36	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
54	कन्नौज	18:36	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
55	अमरोहा	18:39	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
56	बिजनौर	18:39	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
57	रामपुर	18:40	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
58	सम्भल	18:40	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
59	मुरादाबाद	18:40	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
60	सहारनपुर	18:39	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
	एन0सी0आर0 क्षेत्र (निर्धारित 24:00 घण्ट)								
61	गौतमबुद्धनगर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
62	हापुड़	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
63	मुजफ्फरनगर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
64	शामली	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
65	बागपत	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
66	बुलन्दशहर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
67	गाजियाबाद	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
68	मेरठ	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
	बुन्देलखण्ड क्षेत्र (ग्रामीण निर्धारित 20:00 घण्टें)								
69	हमीरपुर	20:10	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
70	महोबा	20:10	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
71	चित्रकूट	20:10	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
72	बान्दा	20:14	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-
73	झांसी	20:14	-	21:34	-	21:36	-	24:00	-

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (मई 2025)

क्रम सं0	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
74	जालौन	**20:14**	-	**21:34**	-	**21:36**	-	**24:00**	-
75	ललितपुर	**20:14**	-	**21:34**	-	**21:36**	-	**24:00**	-

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (जून 2025)

क्रम सं0	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
1	प्रयागराज	18:25	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
2	बलिया	18:25	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
3	देवरिया	18:25	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
4	वाराणसी	18:25	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
5	कुशीनगर	18:25	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
6	भदोही	18:36	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
7	गाजीपुर	18:36	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
8	मऊ	18:36	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
9	सन्तकबीर नगर	18:36	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
10	सोनभद्र	18:36	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
11	आजमगढ़	18:34	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
12	कौशाम्बी	18:34	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
13	महाराजगंज	18:34	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
14	सिद्धार्थनगर	18:34	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
15	प्रतापगढ़	18:34	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
16	बस्ती	18:39	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
17	चन्दौली	18:39	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
18	फतेहपुर	18:39	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
19	गोरखपुर	18:39	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
20	मिर्जापुर	18:39	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
21	जौनपुर	18:39	-	21:34	-	21:40	-	24:00	-
22	अम्बेडकरनगर	18:33	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
23	गोण्डा	18:33	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
24	लखीमपुरखीरी	18:33	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
25	शाहजहांपुर	18:33	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
26	सीतापुर	18:33	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
27	बहराइच	18:38	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
28	बाराबंकी	18:38	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
29	बदायूं	18:38	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
30	पीलीभीत	18:38	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
31	उन्नाव	18:38	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
32	अमेठी	18:28	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
33	हरदोई	18:28	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
34	रायबरेली	18:28	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
35	श्रावस्ती	18:28	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
36	बलरामपुर	18:35	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
37	बरेली	18:35	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
38	अयोध्या	18:35	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (जून 2025)

क्रम सं०	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
39	लखनऊ	18:35	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
40	सुल्तानपुर	18:35	-	21:35	-	21:41	-	24:00	-
41	आगरा	18:28	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
42	औरैया	18:28	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
43	फिरोजाबाद	18:28	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
44	कानपुर	18:28	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
45	इटावा	18:35	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
46	हाथरस	18:35	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
47	कासगंज	18:35	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
48	मथुरा	18:35	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
49	अलीगढ़	18:29	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
50	फर्रूखाबाद	18:29	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
51	मैनपुरी	18:29	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
52	एटा	18:32	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
53	कानपुर देहात	18:32	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
54	कन्नौज	18:32	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
55	अमरोहा	18:29	-	21:40	-	21:41	-	24:00	-
56	बिजनौर	18:29	-	21:40	-	21:41	-	24:00	-
57	रामपुर	18:36	-	21:40	-	21:41	-	24:00	-
58	सम्भल	18:36	-	21:40	-	21:41	-	24:00	-
59	मुरादाबाद	18:36	-	21:40	-	21:41	-	24:00	-
60	सहारनपुर	18:29	-	21:40	-	21:41	-	24:00	-
	एन0सी0आर0 क्षेत्र (निर्धारित 24:00 घण्टें)								
61	गौतमबुद्धनगर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
62	हापुड़	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
63	मुजफ्फरनगर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
64	शामली	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
65	बागपत	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
66	बुलन्दशहर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
67	गाजियाबाद	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
68	मेरठ	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
	बुन्देलखण्ड क्षेत्र (ग्रामीण निर्धारित 20:00 घण्टें)								
69	हमीरपुर	20:13	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
70	महोबा	20:13	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
71	चित्रकूट	20:13	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (जून 2025)

क्रम सं०	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
72	बान्दा	20:13	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
73	झांसी	20:13	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
74	जालौन	20:13	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-
75	ललितपुर	20:13	-	21:36	-	21:38	-	24:00	-

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (जुलाई 2025)

क्रम सं0	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
1	प्रयागराज	18:15	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
2	बलिया	18:15	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
3	देवरिया	18:15	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
4	वाराणसी	18:15	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
5	कुशीनगर	18:15	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
6	भदोही	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
7	गाजीपुर	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
8	मऊ	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
9	सन्तकबीर नगर	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
10	सोनभद्र	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
11	आजमगढ़	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
12	कौशाम्बी	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
13	महाराजगंज	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
14	सिद्धार्थनगर	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
15	प्रतापगढ़	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
16	बस्ती	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
17	चन्दौली	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
18	फतेहपुर	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
19	गोरखपुर	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
20	मिर्जापुर	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
21	जौनपुर	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
22	अम्बेडकरनगर	18:14	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
23	गोण्डा	18:14	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
24	लखीमपुरखीरी	18:14	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
25	शाहजहांपुर	18:14	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
26	सीतापुर	18:14	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
27	बहराइच	18:20	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
28	बाराबंकी	18:20	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
29	बदायूं	18:20	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
30	पीलीभीत	18:20	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
31	उन्नाव	18:20	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
32	अमेठी	18:17	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
33	हरदोई	18:17	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
34	रायबरेली	18:17	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
35	श्रावस्ती	18:17	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
36	बलरामपुर	18:16	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
37	बरेली	18:16	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
38	अयोध्या	18:16	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-

एस० एल० डी० सी० स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (जुलाई 2025)

क्रम सं0	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
39	लखनऊ	18:16	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
40	सुल्तानपुर	18:16	-	21:31	-	21:31	-	24:00	-
41	आगरा	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
42	औरैया	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
43	फिरोजाबाद	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
44	कानपुर	18:16	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
45	इटावा	18:13	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
46	हाथरस	18:13	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
47	कासगंज	18:13	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
48	मथुरा	18:13	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
49	अलीगढ़	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
50	फर्रूखाबाद	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
51	मैनपुरी	18:18	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
52	एटा	18:20	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
53	कानपुर देहात	18:20	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
54	कन्नौज	18:20	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
55	अमरोहा	18:17	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
56	बिजनौर	18:17	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
57	रामपुर	18:22	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
58	सम्भल	18:22	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
59	मुरादाबाद	18:22	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
60	सहारनपुर	18:17	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
	एन0सी0आर0 क्षेत्र (निर्धारित 24:00 घण्टें)								
61	गौतमबुद्धनगर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
62	हापुड़	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
63	मुजफ्फरनगर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
64	शामली	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
65	बागपत	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
66	बुलन्दशहर	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
67	गाजियाबाद	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
68	मेरठ	24:00	-	24:00	-	24:00	-	24:00	-
	बुन्देलखण्ड क्षेत्र (ग्रामीण निर्धारित 20:00 घण्टें)								
69	हमीरपुर	20:03	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
70	महोबा	20:03	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
71	चित्रकूट	20:03	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
72	बान्दा	20:07	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
73	झांसी	20:07	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-

एस0 एल0 डी0 सी0 स्तर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय में औसत विद्युत आपूर्ति के घण्टे (जुलाई 2025)

क्रम सं0	जनपद का नाम	ग्रामीण क्षेत्र (निर्धारित 18:00 घण्टे)		नगर पंचायत मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		तहसील मुख्यालय (निर्धारित 21:30 घण्टे)		जनपद मुख्यालय (निर्धारित 24:00 घण्टे)	
		आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे	आपूर्ति के घण्टे	कटौती के घण्टे
74	जालौन	20:07	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-
75	ललितपुर	20:07	-	21:30	-	21:30	-	24:00	-

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4761
दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली की अनिवार्य स्थापना

4761. श्री सुखदेव भगतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के हाल के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत की कोयला आधारित ताप विद्युत क्षमता के केवल लगभग 5 प्रतिशत भाग में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणालियां संस्थापित की गई थीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्षों पूर्व मानदण्ड निर्धारण के बावजूद पूर्वी भारत में अनुपालन करने वाले संयंत्रों की संख्या शून्य थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अधिकांश ताप विद्युत संयंत्रों में सल्फर डाईऑक्साइड (SO_2) नियंत्रण को अनिवार्य करने में विलंब किए जाने के क्या कारण हैं जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है; और

(घ) न्यूनतम शास्तियां लगाते हुए समय-सीमा को आगे बढ़ाए जाने की बजाय प्रवर्तन को कब तक सार्वभौमिक बनाए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 07.12.2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए उत्सर्जन मानकों [सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) सहित] को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से उत्सर्जन मानकों के अनुपालन

हेतु टीपीपी को तीन श्रेणियों अर्थात् श्रेणी क, ख और ग में वर्गीकृत किया है। तदनुसार, टीपीपी को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

क्रम सं.	**वर्ग**	**अवस्थिति/क्षेत्र**	**टीपीपी की संख्या**	**यूनिटों की संख्या**	**क्षमता (मेगावाट)**
1	श्रेणी क	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में	17	66	20,577
2	श्रेणी ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों अथवा अनुपालन न करने वाले क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे के भीतर	25	72	24,057
3	श्रेणी ग	श्रेणी क और ख में शामिल संयंत्रों के अलावा	149	462	1,66,885.5
		कुल	**191**	**600**	**2,11,519.5**

टिप्पणी: भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार।

SO_2 उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए, कोयला/लिग्नाइट आधारित टीपीपी में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली संस्थापित की जा रही है।

केंद्र सरकार द्वारा एमओईएफएंडसीसी की दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना में निर्धारित SO_2 उत्सर्जन मानकों की समीक्षा, इन मानकों की समय-सीमा में छूट या ढील के संबंध में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की सीमित उपलब्धता, इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, आपूर्ति श्रृंखला पर कोविड-19 महामारी का नकारात्मक प्रभाव, उच्च मांग और कम आपूर्ति के कारण मूल्य वृद्धि, परिवेशी वायु में कम SO_2 सांद्रता और विद्युत कीमत में वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं पर भारी बोझ आदि को ध्यान में रखते हुए की गई है।

उपर्युक्त के अलावा, इन मानकों की सार्वभौमिक प्रयोज्यता और प्रवर्तन की आवश्यकता का मूल्यांकन करने हेतु इन मानकों के संबंध में प्रभावशीलता और औचित्य तथा क्षेत्र के समग्र परिवेशी वायु प्रदूषण में इसकी भूमिका के संबंध में स्वतंत्र अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों पर भी विचार किया गया था।

उपर्युक्त के आलोक में, अब एमओईएफएंडसीसी ने टीपीपी के लिए SO_2 उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता के संबंध में समय-सीमा सहित दिनांक 11.07.2025 को एक अधिसूचना जारी की है और इसका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) दिनांक 31.12.2030 से पहले बंद होना घोषित किए गए ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा SO_2 उत्सर्जन के लिए निर्दिष्ट मानकों को पूरा करना अपेक्षित नहीं होगा, यदि ऐसे संयंत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को बंद होने के आधार पर छूट के लिए वचनबद्धता प्रस्तुत करते हैं;

(ii) श्रेणी 'क' के मौजूदा और चालू होने वाले ताप विद्युत संयंत्रों को दिनांक 31.12.2027 तक SO_2 उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करना होगा। दिनांक 31.12.2027 के बाद चालू होने वाले श्रेणी 'क' के अन्य संयंत्र इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही परिचालन में आएंगे;

(iii) श्रेणी 'ख' के सभी संयंत्रों या यूनिटों, मौजूदा या आगामी, के लिए SO_2 उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता, दिनांक 11.07.2025 की अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ताप विद्युत परियोजनाओं की प्रभारी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी;

(iv) SO_2 उत्सर्जन मानक सभी श्रेणी-ग ताप विद्युत संयंत्रों पर लागू नहीं होंगे, बशर्ते कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.08.1990 को अधिसूचित स्टैक ऊंचाई मानदंडों का अनुपालन किया जाए तथा स्टैक ऊंचाई मानदंडों के अनुपालन सुनिश्चित करने की समय-सीमा दिनांक 31.12.2029 है।

टीपीपी में SO_2 उत्सर्जन मानकों की उपर्युक्त श्रेणीवार प्रयोज्यता का निर्धारण विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययनों और देश भर में, टीपीपी के निकटवर्ती क्षेत्रों सहित, परिवेशी SO_2 सांद्रता के विश्लेषण के आधार पर किया गया है।

इसके अलावा, निर्दिष्ट समय-सीमा के बाद अनुपालन न करने की स्थिति में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बंद न होने वाले ताप विद्युत संयंत्रों के लिए निम्नलिखित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित की है:

समय-सीमा के बाद अनुपालन न करने वाले संयंत्रों का संचालन	**पर्यावरण क्षतिपूर्ति (रुपये प्रति यूनिट उत्पादित विद्युत के लिए)**
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन और आगे	0.40

दिनांक 31.12.2023 तक, 24 यूनिटों (10,600 मेगावाट) में एफजीडी संस्थापित किए जा सके।

अब तक, देश भर में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की 57 यूनिटों में एफजीडी संस्थापित किए जा चुके हैं। इनमें से 11 एफजीडी (झारखंड में 03, ओडिशा में 02 और पश्चिम बंगाल में 06) भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों में संस्थापित किए गए हैं।

****

भारत सरकार

विद्‌युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4769

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना

†4769. श्री जी. कुमार नायकः

क्या **विद्‌युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का लगभग 76 प्रतिशत बिजली उत्पादन ताप विद्‌युत, मुख्यतः कोयले से होता है, जो चार्जिंग के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली से होने वाले उच्च कार्बन उत्सर्जन के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों (ईबी) के पर्यावरण से जुड़े लाभों को संभावित रूप से प्रभावित करता है;

(ख) यदि हाँ, तो इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से कार्बन उत्सर्जन को प्रभावी रूप से कम करना सुनिश्चित करने के लिए, भारत के बिजली उत्पादन मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्‌वारा क्या उपाय किए गए हैं/ किए जा रहे हैं; और

(ग) सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार के साथ इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के विकास को संरेखित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हरित ऊर्जा अवसंरचना में प्रगति से इलेक्ट्रिक वाहन की दिशा में अग्रसर होने में सहयोग मिले और परिवहन क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके?

उत्तर

विद्‌युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : सरकार इस बात से अवगत है कि वर्तमान में देश के विद्‌युत उत्पादन मिश्रण में कोयला आधारित विद्‌युत का सबसे बड़ा योगदान है। भारत, वर्ष 2070 तक 'नेट-जीरो' उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में ऊर्जा पारगमन की सुविधा के साथ-साथ वृद्‌धि और विकास सुनिश्चित किए जाने के उद्‌देश्य से, ऊर्जा सुरक्षा, वहनीयता और सुलभता को महत्वपूर्ण अपरिहार्य प्राथमिकता के रूप में सुनिश्चित करते हुए जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्‌ध है।

अगस्त, 2022 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अपने अद्यतन योगदान (एनडीसी) में, भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी संचयी संस्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार, कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित क्षमता का हिस्सा 50.25% हो गया है।

ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की लगातार बढ़ती हिस्सेदारी और स्वच्छ एवं दक्ष ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के साथ, भारत में ग्रिड विद्युत की औसत कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में लगभग 7% (वर्ष 2014-15 में 0.78 किग्रा/किलोवाट घंटा से वर्ष 2023-24 में 0.72 किग्रा/किलोवाट घंटा) की उल्लेखनीय कमी आई है।

(ख) : सरकार ने भारत के विद्युत उत्पादन मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए/उपाय किए हैं। जिनका विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ग) : सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ोतरी के लिए कई कदम उठाए हैं जिनका विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4769

अनुबंध-I

भारत के विद्युत उत्पादन मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम/उपाय इस प्रकार हैं: -

(i) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष की आरई विद्युत खरीद बोलियां जारी करने के लिए बिडिंग ट्रेजेक्टरी जारी की है।

(ii) स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

(iii) दिसंबर 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए और दिसंबर 2032 तक अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए, दिनांक 30 जून 2025 तक शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ कर दिए गए हैं।

(iv) नवीकरणीय ऊर्जा की खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) और उसके बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) की अवधि वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित की गई है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत आरसीओ सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू है जिसका पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।

(v) ग्रिड से जुड़े सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म एवं डिस्पैचेबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत के क्रय हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(vi) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के तहत नई सौर ऊर्जा योजना (आदिवासी और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए), राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन,अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं ।

(vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने हेतु सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

(viii) नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता बनाने के लिए वित्तपोषण किया गया है।

(ix) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्यनीति" जारी की गई है।

(x) तीव्र नवीकरणीय ऊर्जा ट्रजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना की अभिवृद्धि हेतु, वर्ष 2032 तक की पारेषण योजना तैयार की गई है।

(xi) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) शुरू किया गया है।

(xii) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम लागू कर रही है। इससे उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट (जीडब्ल्यू) पैमाने पर विनिर्माण क्षमता विकसित होगी।

****

लो.स.अता.प्र.सं.4769

अनुबंध-II

ईवी बाजार के विकास को संरेखित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमें तैयार की हैं:

- अभिनव वाहन संवर्धन पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम: देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए दिनांक 29 सितंबर, 2024 को प्रधानमंत्री ई-ड्राइव स्कीम अधिसूचित की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य ई-2डबल्यू, ई-3डबल्यू, ई-ट्रक, ई-एम्बुलेंस और ई-बसों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है। यह स्कीम चार्जिंग अवसंरचना के विकास और वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन में भी सहयोग करती है।

- ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-ऑटो): सरकार ने दिनांक 15 सितंबर, 2021 को उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पीएलआई-ऑटो स्कीम को मंज़ूरी दी है।

- उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के निर्माण के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम: सरकार ने दिनांक 12 मई, 2021 को देश में एसीसी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई-एसीसी को मंज़ूरी दी। इस स्कीम का उद्देश्य 50 गीगावाट घंटे की संचयी एसीसी बैटरी निर्माण क्षमता स्थापित करना है।

- हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाना और विनिर्माण (फेम) स्कीम चरण- II (फेम-II): फेम-II को दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया था। फेम-II के तहत, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) को इलेक्ट्रिक वाहनों, इसके असेंबली/सब-असेंबली और पार्ट्स/सब-पार्ट्स के घरेलू विनिर्माण के उद्देश्य से पेश किया गया था, जिससे घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि हुई।

- प्रधानमंत्री ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम: यह स्कीम दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 को अधिसूचित की गई है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

- भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने संबंधी स्कीम (एसपीएमईपीसीआई): भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को दिनांक 15 मार्च, 2024 को अधिसूचित किया गया था।

ii. विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 17 सितंबर, 2024 को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना-2024 की संस्थापना और प्रचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो कनेक्टेड और इंटरऑपरेबल ईवी चार्जिंग अवसंरचना नेटवर्क बनाने के लिए मानकों और प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार करते हैं जिसमें बैटरी स्वैपिंग/चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं।

iii. देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को सां.आ. 5333(ई) द्वारा जारी अधिसूचना में बैटरी चालित परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकताओं से छूट प्रदान की गई है।

- जीएसआर 525 (ई) दिनांकित 2 अगस्त, 2021 के तहत जारी अधिसूचना ने बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने तथा नया पंजीकरण चिह्न प्रदान करने के उद्देश्य से शुल्क के भुगतान से छूट दी है।

- जी.एस.आर. 302 (ई) दिनांकित 18 अप्रैल, 2023 के तहत किसी परमिट शुल्क के भुगतान के बिना बैटरी चालित वाहनों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट जारी करने हेतु अधिसूचना जारी की गई।

- वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो-फिटमेंट के लिए जीएसआर 167 (ई) दिनांकित 1 मार्च, 2019 के तहत अधिसूचना जारी की गई है और उनके अनुपालन मानक ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) 123 के अनुसार होंगे।

- सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बिना बैटरी वाले दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के संबंध में दिनांक 12 अगस्त, 2020 को एक एडवाइजरी जारी की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4780

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत सुरक्षा पर विधान

†4780. श्री परषोत्तमभाई रुपालाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दक्षिण कोरिया और क्वींसलैंड (ऑस्ट्रेलिया) के विद्युत सुरक्षा से संबंधित विधानों का अध्ययन करने के लिए प्रस्तुत सुझाव/अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है, सुरक्षा में सुधार करने हेतु भारत में अपनाने के लिए उन विधानों से पहचाने गए तत्वों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान विद्युत सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के साथ-साथ किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की विद्युत सुरक्षा के लिए कोई विधान बनाने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को सलाह दी गई है कि वह प्राप्त सुझावों और वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों की जांच करे, और यदि आवश्यक हो, तो हितधारकों के परामर्श से प्रासंगिक विनियमों में संशोधन करे, साथ ही इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ डूइंग बिज़नेस के सिद्धांतों का पूरी तरह से ध्यान रखे, जैसा कि भारत सरकार द्वारा जोर दिया जाता रहा है।

(ग) और (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53(क) और धारा 177(2)(ख) के प्रावधानों के अनुसार, सीईए ने विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानव जीवन की रक्षा के लिए समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 को अधिसूचित किया है। सीईए ने राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद दिनांक 8 जून, 2023 को इन विनियमों को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया था।

इन विनियमों के प्रावधानों पर राज्य सरकारों के साथ बैठकों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों के माध्यम से नियमित रूप से चर्चा की जाती है। विद्युत सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को परामर्श भी जारी किए जाते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4785

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

सौभाग्य का कार्यान्वयन

4785. श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र और दादरा एवं नगर हवेली के गांवों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) का सफल कार्यान्वयन करने में सफल रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) सौभाग्य योजना के लिए महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सरकार प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले सहित देश में अभी भी बिजली की सार्वभौमिक सुलभता से वंचित लोगों की संख्या का अनुमान लगाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ङ) : भारत सरकार ने सभी घरों को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में राज्यों की सहायता के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि स्कीमों के माध्यम से उनके प्रयासों को गति दी है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी गैर-विद्युतीकृत आबाद गाँवों का दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। इसके बाद, सौभाग्य के दौरान, जैसा कि महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यों द्वारा बताया गया है, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं। राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

सौभाग्य स्कीम के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय अनुदान **6330.32 करोड़** रुपये था। महाराष्ट्र सहित राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

वर्तमान में, भारत सरकार संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान कर रही है। इसमें पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत चिन्हित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) घरों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय घरों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के घरों और जहाँ भी संभव हो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती घरों के विद्युतीकरण के कार्य शामिल हैं। अब तक, राज्यों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, 13,59,752 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 6,487 करोड़ रुपये की राशि के कार्य संस्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-III** पर और महाराष्ट्र के लिए ज़िला-वार विवरण **अनुबंध-IV** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, नई सौर विद्युत स्कीम के अंतर्गत दिनांक 30 जून, 2025 तक 9,961 घरों के ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। राज्यवार विवरण **अनुबंध-V** पर दिया गया है।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4785
अनुबंध-I

सौभाग्य योजना के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों की संख्या (डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि सहित)

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		**2,86,13,424**

***सौभाग्य योजना के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं**

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4785

अनुबंध-II

सौभाग्य योजना के अंतर्गत राज्यवार जारी धनराशि

क्रम सं.	राज्यों के नाम	जारी अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	अरुणाचल प्रदेश	159.79
2	असम	718.34
3	बिहार	491.38
4	छत्तीसगढ	378.71
5	हरियाणा	8.46
6	हिमाचल प्रदेश	2.02
7	जम्मू एवं कश्मीर	45.57
8	झारखंड	284.31
9	कर्नाटक	48.03
10	केरल	66.34
11	लद्दाख	5.59
12	मध्य प्रदेश	553.64
13	महाराष्ट्र	217.98
14	मणिपुर	98.58
15	मेघालय	205.93
16	मिजोरम	41.2
17	नागालैंड	54.18
18	ओडिशा	322.68
19	पंजाब	0.71
20	राजस्थान	304.54
21	सिक्किम	1.9
22	तेलंगाना	16.77
23	त्रिपुरा	275.93
24	उत्तर प्रदेश	1814.62
25	उत्तराखंड	43.92
26	पश्चिम बंगाल	169.2
कुल		**6330.32**

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4785

अनुबंध-III

आरडीएसएस के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण को मंजूरी

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत कुल घर
क.	**आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त घर**			
1	राजस्थान	1,526.94	916.16	338,702
2	मेघालय	435.70	392.13	50,501
3	मिजोरम	79.90	71.91	15,167
4	नागालैंड	69.55	62.59	10,004
5	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	251,487
6	आंध्र प्रदेश	49.24	29.55	15,475
7	झारखंड	25.16	15.09	4,853
8	जम्मू एवं कश्मीर	106.70	96.03	15,359
9	बिहार	238.86	143.32	35,467
10	असम	785.55	706.99	127,111
11	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.40	6,506
12	मणिपुर	214.44	193.00	36,972
13	छतीसगढ	166.55	99.93	34,078
14	केरल	0.33	0.20	40
15	मध्य प्रदेश	1.13	0.68	196
	कुल (क)	**4,678.19**	**3,328.60**	**941,918**
ख.	**वाइब्रेंट विलेज में आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत विद्युतीकरण कार्य**			
1	हिमाचल प्रदेश*	6.08	5.47	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154
	कुल (ख)	**39.34**	**35.41**	**2,837**
ग.	**पीएम-जनमन के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण**			
ग1	**आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत**			
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	24,967
2	बिहार	0.28	0.17	0
3	छतीसगढ	38.17	22.90	7,077
4	झारखंड	74.13	44.47	12,442
5	मध्य प्रदेश	143.39	86.02	29,290
6	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556
7	राजस्थान	40.34	24.20	17,633
8	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615
9	केरल	0.86	0.52	345
10	तमिलनाडु	29.89	17.94	8,603
11	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884
12	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664
13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669
14	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316
	उप-योग (ग1)	**516.15**	**328.31**	**127,061**
ग2	**राज्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया पीवीटीजी एचएच विद्युतीकरण****			

1	गुजरात	0	0	-
2	ओडिशा	0	0	-
3	पश्चिम बंगाल	0	0	-
	उप-योग (ग2)			
	कुल (ग=ग1+ग2)	**516.15**	**328.31**	**127,061**
घ.	**डीए-जेजीयूए के अंतर्गत चिन्हित जनजातीय घरों का विद्युतीकरण**			
घ1	**स्वीकृत घर**			
1	आंध्र प्रदेश	19.12	11.47	4,921
2	अरुणाचल प्रदेश	8.20	7.38	1,938
3	बिहार	61.40	36.84	7,117
4	छत्तीसगढ	218.44	131.06	39,579
5	हिमाचल प्रदेश	0.49	0.45	93
6	जम्मू एवं कश्मीर	89.84	80.85	13,824
7	झारखंड	92.44	55.47	19,467
8	कर्नाटक	32.14	19.28	4,229
9	केरल	5.73	3.44	1,080
10	मध्य प्रदेश	284.94	170.97	55,795
11	महाराष्ट्र	23.60	14.16	6,961
12	राजस्थान	197.11	118.26	82,842
13	तेलंगाना	110.73	66.44	26,525
14	त्रिपुरा	40.69	36.62	7,677
15	उतार प्रदेश।	32.21	19.32	6,867
16	उत्तराखंड	0.84	0.75	207
	उप योग (घ1)	**1,217.91**	**772.77**	**279,122**
घ2	**स्वीकृत सार्वजनिक स्थान**			
1	आंध्र प्रदेश	0.70	0.42	182
2	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.03	9
3	हिमाचल प्रदेश	0.05	0.05	7
4	झारखंड	8.25	4.95	1,910
5	केरल	0.15	0.09	17
6	मध्य प्रदेश	3.32	1.99	650
7	राजस्थान	0.70	0.42	195
8	तेलंगाना	2.90	1.74	672
9	त्रिपुरा	2.31	2.08	512
10	उत्तर प्रदेश	0.13	0.08	30
11	उत्तराखंड	0.08	0.07	19
	उप योग (घ2)	**18.63**	**11.92**	**4,203**
	कुल (घ=घ1+घ2)	**1,236.53**	**784.69**	**283,325**
ङ.	**पीएम-अजय के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत**			
1	आंध्र प्रदेश	3.50	2.10	811
2	झारखंड	6.14	3.68	1,782
3	मध्य प्रदेश	0.002	0.001	6
4	महाराष्ट्र	6.810	4.086	2,012
	कुल (ङ)	**16.45**	**9.87**	**4,611**
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)	**6,486.67**	**4,486.87**	**1,359,752**

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4785

अनुबंध-IV

महाराष्ट्र में स्वीकृत घरों का विवरण

जिला	**स्वीकृत घरों की संख्या**
अहिल्यानगर	579
अहमदनगर	161
अकोला	103
अमरावती	13
बीड	262
भंडारा	2
बुलढाना	538
सी.संभाजीनगर	103
चंद्रपुर	508
धुले	411
गडचिरोली	495
गोंदिया	185
हिंगोली	818
जलगांव	384
जलना	78
लातूर	42
नांदेड़	372
नासिक	3,109
उस्मानाबाद	55
पालघर	1,879
परभनी	457
पुणे	1,035
रायगढ़	3,837
सतारा	50
सोलापुर	259
थाणे	615
वर्धा	16
वाशिम	211
यवतमाल	881
कोल्हापुर	6
सिंधुदुर्ग	65
कुल योग	**17,529**

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 4785

अनुबंध-V

नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत मंजूरी दिया गया ऑफ-ग्रिड सोलर आधारित घरेलू विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत परिवारों की संख्या
(क)	आंध्र प्रदेश	1,675
(ख)	छत्तीसगढ	1,578
(ग)	झारखंड	2,342
(घ)	मध्य प्रदेश	2,060
(ङ)	कर्नाटक	179
(च)	केरल	98
(छ)	तेलंगाना	326
(ज)	त्रिपुरा	1,703
कुल		**9,961**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4788

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

मार्गेरिटा ताप विद्युत परियोजना

†4788. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऊपरी असम में कोयला आधारित मार्गेरिटा ताप विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम सरकार ने उपरोक्त परियोजना के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को असम पॉवर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड से यह कहते हुए कोई सूचना प्राप्त हुई है कि उसकी मंशा इस परियोजना को छोड़ने की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में भावी योजना क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : असम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीजीसीएल) ने मार्गेरिटा में 2x800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना विकसित करने का विचार किया था। तदनुसार, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2019 में 16,850 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई थी। एपीजीसीएल ने कोयला मंत्रालय (एमओसी) और विद्युत मंत्रालय (एमओपी) को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के उत्तर पूर्वी कोयला क्षेत्रों से 90% पीएलएफ पर 4.11 एमटीपीए कोयले के लिए कोयला लिंकेज का अनुरोध प्रस्तुत किया था, जिसमें जीसीवी 6,900 केसीएएल/किग्रा के कोयले पर विचार किया गया था।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने एपीजीसीएल को सलाह दी थी कि पूर्वोत्तर कोयला क्षेत्रों में पर्याप्त कोयले की उपलब्धता न होने के कारण, डीपीआर में दिए गए अनुसार मार्गेरिटा टीपीपी को पिट हेड प्लांट के रूप में विकसित करना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए, एपीजीसीएल को डीपीआर पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और यदि एपीजीसीएल इस पर सहमत हो जाती है, तो ईसीएल, बीसीसीएल और सीसीएल जैसी अन्य कोयला कंपनियों से कोयला लिया जा सकता है। तदनुसार, एपीजीसीएल को सलाह दी गई थी कि वह ऊपर-उल्लिखित कोयला कंपनियों से अपनी कोयला आवश्यकता के लिए सीआईएल से संपर्क करे। तथापि, एपीजीसीएल से इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) : विद्युत मंत्रालय को एपीजीसीएल से परियोजना को छोड़ने की मंशा के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4794
दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

आरडीएसएस के तहत हिमाचल प्रदेश को आवंटित धनराशि

4794. श्री सुरेश कुमार कश्यप:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पुन: संरचित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को कितनी राशि का बजट आवंटित किया गया है;

(ग) किन कार्यों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में अब तक पूरे हो चुके कार्यों तथा अभी पूरे होने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार ने जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरूआत की, जिसका उद्देश्य देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाना है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र से अनुमानित अनुदान 97,631 करोड़ रुपये है। इस स्कीम का उद्देश्य समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना और आपूर्ति की औसत लागत और औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर) अंतर को शून्य तक कम करना है। इस स्कीम के तहत वितरण अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वितरण यूटिलिटी को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। आरडीएसएस के तहत, स्मार्ट मीटरिंग कार्यों सहित, अब तक 2.83 लाख करोड़ रुपये की अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

(ख) और (ग) : हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए 4,116 करोड़ रुपये की राशि के वितरण अवसंरचना कार्यों को मंज़ूरी दी गई है। कार्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	**स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)**	**केंद्रीय अनुदान (करोड़ रुपये में)**
स्मार्ट मीटरिंग कार्य	1,788	466
हानि न्यूनीकरण कार्य	1,958	1,763
वाईब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत अवसंरचना कार्य	6	5
उत्तरी सीमा क्षेत्र के लिए अवसंरचना कार्य	362	326
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत घरेलू विद्युतीकरण कार्य	0.53	0.48
कुल	**4,116**	**2,561**

(घ) : हिमाचल प्रदेश राज्य में अब तक स्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का लगभग 16% और स्वीकृत अवसंरचना कार्यों का लगभग 2% भाग पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि शेष स्वीकृत कार्य स्कीम अवधि के अंत तक, अर्थात् दिनांक 31.03.2028 तक पूरे हो जाएँगे।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4796

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

भारत ऊर्जा स्टैक का कार्यान्वयन

4796. श्री राजीव प्रताप रूडीः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत ऊर्जा स्टैक (आईईएस) की रूपरेखा तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कार्यबल के अधिदेश और संरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रक्रिया में उभरते हरित ऊर्जा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) मौजूदा विद्युत क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र में कौन-सी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं जिनका आईईएस समाधान करना चाहता है; और

(ङ) आईईएस के अंतर्गत प्रस्तावित यूटिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के प्रमुख घटक और अपेक्षित कार्यात्मकताओं का ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत मंत्रालय ने भारत ऊर्जा स्टैक (आईईएस) हेतु रोडमैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसमें डोमेन विशेषज्ञ और मंत्रालयों, राज्य यूटिलिटी, विनियामकों आदि के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारक शामिल हैं। इस टास्क फोर्स में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और हरित ऊर्जा क्षेत्र के अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) : आईईएस का उद्देश्य निर्बाध डेटा विनिमय, रीयल-टाइम विश्लेषण और बेहतर उपभोक्ता सेवाओं को सक्षम करके विद्युत क्षेत्र में बदलाव लाने हेतु एक एकीकृत, सुरक्षित और अंतर-संचालनीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना है। इसका उद्देश्य एक मानकीकृत प्लेटफ़ॉर्म तैयार करना है जो विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में डेटा, सेवाओं और प्रणालियों को एक साथ निर्बाध रूप से कार्य करने में सक्षम बनाएगा।

****